तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील जीसीएमएस नम्बर 2025/558 विजय लक्ष्मी बनाम मोहनलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

04.02.2026

पत्रावली पेश हुई। अपीलान्ट की ओर से श्री सीताराम सामोता एडवोकेट उपस्थित। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 4 की ओर से ललित कुमार शर्मा एडवोकेट उपस्थित। रेस्पोडेन्ट संख्या 5 लगायत 7 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। अपीलांट संख्या 1 लगायत 2 स्वयं उपस्थित। वकील अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र बाबत अपील विड्रो कर सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करने बाबत प्रस्तुत किया गया। वकील अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि उपरोक्त उनवानी अपील दिनांक 06.06.2023 सहायक कलेक्टर खण्डेला जिला सीकर के निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। उपरोक्त अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर को है लेकिन अपीलांट द्वारा सहवन से अपील मान्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दी है, जिसको अपीलान्ट विड्रो कर न्यायालय (राजस्व अपील प्राधिकारी) के समक्ष अपील प्रस्तुत करना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उपरोक्त उनवानी अपील को विड्रो करने की अनुमति प्रदान की जाकर सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करने हेतु आदेश पारित किया जावे एवं धारा 5 मियाद अधिनियम का लाभ प्रदान किया जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट ने सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मुकाम़ खण्डेला के मु0नं0 78/2023 किस्म मुकदमा प्रार्थना अस्थाई निषेधाज्ञा उनवानी मोहनलाल वगै0 बनाम विजयलक्ष्मी वगै0 मे पारित निर्णय दिनांक 06.06.2023 एवं 07.06.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलाधीन स्थगन आदेश दिनांक 06.06.2023 एवं 07.06.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील की सुनवाई का अधिकार न्यायालय हाजा को प्रदत्त नहीं है। ऐसी स्थिति में अपील पर अग्रिम कार्यवाही न्यायालय हाजा के स्तर पर संभव नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हस्तगत अपील पर अग्रिम कार्यवाही न्यायालय हाजा के स्तर पर संभव नहीं होने से परिणामतः प्रस्तुत अपील अपीलांट को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु लौटाये जाने के आदेश दिये जाते हैं। अहलमद आदेशिका एवं अपील मीमो की प्रति न्यायालय हाजा में सुरक्षित रखें। मूल अपील पत्रावली अपीलांट को लौटाकर आदेशिका पर प्राप्ति लेवें। विचारण न्यायालय की पत्रावली यदि प्राप्त है तो लौटाई जावे। इस न्यायालय के स्तर से पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो। आदेश सुनाया गया।

(दीप्ति कछवाहा)
अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर